## न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

## जमानत आवेदन कमांक 214/18

- 1. मुरारी पुत्र कमल सिंह उर्फ कमला कुशवाह आयु 36 वर्ष
- 2. प्रदीप पुत्र मुरारी कुशवाह आयु 16 वर्ष <u>उक्त दोनों</u> निवासी ग्राम आलोरी थाना गोहद परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

----आवेदकगण

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

———अनावेदक

20-06-2018

आवेदक / अभियुक्तगण मुरारी व प्रदीप की ओर से श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद से अपराध कमांक 141/17 अंतर्गत धारा 354, 294, 376, 323/34 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

आवेदक पक्ष द्वारा आवेदक कृमांक 02 प्रदीप के अव्यस्क होने के संबंध में सूची मुताबिक प्रगति पत्रक पेश किया गया है।

आवेदकरण की ओर से यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० का अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत कर घोषित किया गया है कि यह आवेदकरण का अग्रिम जमानत हेतु प्रथम आवेदन पत्र है इसके अतिरिक्त कोई अन्य आवेदन किसी न्यायालय में प्रस्तुत, लंबित या निराकृत नहीं किया गया, इस संबंध में एवं अधिवक्ता नियुक्ति के संबंध में कमला उर्फ कमल सिंह पुत्र राजाराम कुशवाह आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम आलोरी थाना गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड, जो कि आवेदक मुरारी का पिता व प्रदीप का नाती है, ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री जी०एस० गुर्जर द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया कि आवेदकगण ने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इस प्रकरण के फरियादी पक्ष के विरुद्ध आवेदक मुरारी के भतीजे बृजेश द्वारा उसकी मारपीट किये जाने के संबंध में थाना गोहद में अदम चैक क्रमांक 99/18 लेखबद्ध कराई गई है। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें झूंटा फंसाया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। आवेदकगण अभियोजन साक्ष्य को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे और न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेंगे। अतः इन्हीं सब आधारों पर उन्हें अग्रिम

जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को अति गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपर लोक अभियोजक की ओर से अपने तर्कों में इस बात पर भी जोर दिया है कि आवेदक कमांक 02 प्रदीप के अव्यस्क होने से उसके संबंध में जमानत बावत अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है, जबिक आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में उक्त संबंध में अधिकारिता इस न्यायालय को होना बताया है।

उक्त संबंध में उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये आवेदक कमांक 02 प्रदीप की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के अवलोकन से ही पाया जाता है कि उसमें आवेदक प्रदीप की उम्र 16 वर्ष होना लेख की गई है और उक्त आवेदन पत्र को स्वयं उसके दादा कमला उर्फ कमल सिंह द्वारा अपने शपथ पत्र से समर्थित किया गया है एवं सूची मुताबिक प्रस्तुत प्रगति पत्रक में भी आवेदक प्रदीप सिंह की जन्म तिथि 17.09.2000 होना बताई गई है।

अतएव स्वयं आवेदक पक्ष द्वारा आवेदक क्रमांक 02 प्रदीप को अव्यस्क होकर विधि विरुद्ध किशोर होना बताये जाने से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 में उपबंधित विधिक प्रावधानों के प्रकाश में उसकी सीमा तक अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र0सं० इस न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नहीं पाये जाने से अधिकारिता के अभाव में एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

अब जहाँ तक अन्य आवेदक क्रमांक 01 मुरारी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का प्रश्न है। उक्त संबंध में उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 29.05.18 को दोपहर करीब 12 बजे फरियादी/अभियोक्त्री किरन अपने घर से बाहर कचरा डालने घूरे पर गई थी तो कचरा डालने जैसे ही वह नीम के पेड के पास पहुंची तो वहां पीछे से उसके गांव का लडका राजवीर कुशवाह आ गया और उसने बुरी नियत से पीछे से पकड़ लिया और मॉ—बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा, तब वह चिल्लाने लगी तो उसकी मॉ विमला व बहन सीमा आ गई. जिन्होंने बचाया व घटना देखी थी।

उक्त घटना के संबंध में फरियादी/अभियोक्त्री किरन द्वारा थाना गोहद में लिखित रिपोर्ट किये जाने पर अभियुक्त राजवीर के विरूद्ध धारा 354 व 294 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर दौराने विवेचना फरियादी/अभियोक्त्री द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दिये गये कथनों में फरियादी/अभियोक्त्री द्वारा प्रकट किया गया है कि लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किये जाने के दौरान अभियुक्त राजवीर ने उसकी सलवार फाड़ दी थी एवं उसके गुप्तांग में उंगली डाल दी थी और उसे धमकी दी थी कि वह उसका बुरा हाल कर देगा और शादी भी नहीं होने देगा। अभियोक्त्री की माँ विमला एवं बहन सीमा द्वारा मौके पर पहुंचकर बीच—बचाव करने के पश्चात उनके द्वारा अभियुक्त राजवीर के घर पहुंचकर उक्त संबंध में उलाहना दिये जाने पर आवेदक मुरारी द्वारा उनकी लाठियों से मारपीट किया जाना बताया गया है।

इस प्रकार अभियोजन के अनुसार मामले में समग्रतः घटित अपराध की प्रकृति गंभीर है और आवेदक मुरारी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने ही अपने तर्कों में प्रकट किया है कि प्रश्नगत मुख्य घटना के संबंध में अभियुक्त राजवीर के घर आकर उलाहना दिये जाने पर आवेदक मुरारी व प्रदीप द्वारा लाठी से अभियोक्त्री की मॉ विमला व बहन सीमा की लाठी से मारपीट किये जाने के संबंध में आवेदक मुरारी के विरुद्ध अभियोजन का मामला भर है, जो कि प्रस्तुत तर्क अनुसार आवेदक मुरारी का अपराध जमानतीय प्रकृति का है और धारा 438 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत जमानत मंजूर करने के लिये निदेश तभी दिया जा सकता है, जबिक किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसे अजमानतीय अपराध के आरोप में गिरफतार किया जा सकता है।

अतएव उक्त समस्त के आलोक में आवेदक मुरारी की ओर से भी प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित संबंधित थाने को केस डायरी विधिवत वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड



आवेदक / अभियुक्त पक्ष की ओर से श्री गब्बर सिंह गुर्जर अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि इस न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन क्रमांक 202/18 के निराकरण में पारित आदेश दिनांक 12.06.18 में पंक्ति कमांक 8 में टंकण त्रुटि के कारण पुलिस थाना गोहद के अप०क० 141/18 के स्थान पर 141/17 टंकित हो गया है। अतः त्रुटि सुधार किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिलिपि ए.जी.पी. को प्रदान किये जाने पर उन्होंने भी उपरोक्तानुसार सहवन से टंकण त्रुटि हो जाना बताया है।

संबंधित इस प्रकरण पत्रावली के अवलोकन से भी पाया जाता है कि सहवन से टंकण त्रुटिवश जमानत आवेदन क्रमांक 202/18 के निराकरण में पारित आदेश दिनांक 12.06.18 की पक्ति क्रमांक 8 में अपराध क्रमांक 141 / 18 के स्थान पर 141 / 17 अंकित हो गया है।

अतः उक्त संबंध में आवेदन पत्र स्वीकार कर त्रृटि सुधार करते ह्ये यह उल्लेखित किया जाता है कि उक्त आदेश दिनांक 12.06.18 के पिक्त कमांक ८ में अपराध क्रमांक ''141 / 17'' के स्थान पर 141 / 18 न्यायहित में पढ़ा जावे और इस आदेश को उक्त आदेश दिनांक 12.06.18 का अभिन्न अंग समझा जावे।

प्रकरण पूर्ववत दाखिल रिकॉर्ड हो।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

्रा मिण्ड त्रा मिण्ड